पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जून 2018 ई0 (ज्येष्ठ 26, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–24

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	295–324	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	475–477	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	73–75	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

06 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 610/VII–2–18/41–एमएसएमई/2016–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–403/सात–2–18/41–एमएसएमई/2016, दिनांक 22 फरवरी, 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2018 में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति के क्रियान्वयन आदेश–2018 प्रख्यापित करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा अवधि :

(1) ये दिशा–निर्देश/आदेश उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति के क्रियान्वयन आदेश–2018 कहे जायेंगे।

(2) यह दिशा–निर्देश/आदेश उत्तराखण्ड की स्टार्ट–अप नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 07 वर्षों अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, प्रभावी रहेंगे। दिनांक 29.06.2017 के पश्चात् मान्यता प्राप्त करने वाले स्टार्ट–अप को भी स्टार्ट–अप नीति के लाभ अनुमन्य होंगे।

(3) फील्ड स्तर पर इन दिशा–निर्देशों/आदेशों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के महानिदेशक पदधारक अधिकारी, जो वर्तमान में महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग है तथा उनके अधीन जनपदों में कार्यरत जनपद स्तरीय अधिकारी, जो वर्तमान में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र हैं, का होगा।

2. उपक्रम (Entity) :

उपक्रम से तात्पर्य (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार), पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के अनुसार) अथवा सीमित देयता साझेदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अनुसार) गठित विधिक उपक्रम से है।

3. स्टार्ट–अप की परिभाषा :

उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत एक इकाई को स्टार्ट–अप माना जाएगा, यदि वह नीचे दी गई चार शर्तों को पूर्ण करती हो अथवा यदि इकाई स्टार्ट–अप इण्डिया की पहल के तहत मान्यता प्राप्त है और नीचे उल्लिखित चौथी शर्त को पूर्ण करती हो:–

(1) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष तक यथापि, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्ट–अप के मामले में, यह अवधि उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष तक होगी, और

(2) निगमीकरण/पंजीकरण के बाद से यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार ₹ 25.00 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो, और

(3) पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी संस्था (एन्टिटि) को स्टार्ट–अप नहीं माना जाएगा।

(4) उत्तराखण्ड में इसे निगमित/पंजीकृत किया गया हो अथवा कुल अर्ह कर्मचारियों की कम से कम 50 प्रतिशत संख्या उत्तराखण्ड से हों, जिसमें अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त क्रमांक सं0 1 से 3 में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले परिवर्तन/परिवर्द्धन उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू माने जायेंगे।

स्पष्टीकरणः–

1. कोई उपक्रम अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक होने पर 'स्टार्ट–अप' के रूप में नहीं माना जाएगा।
2. कारोबार का अर्थ, कम्पनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किए अनुसार है।
3. यदि स्टार्ट–अप उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के सम्बन्ध में कार्य कर रहा है अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च सम्भावना वाला एक स्केलेबल व्यवसायिक मॉडल है तो उसे स्टार्ट–अप माना जायेगा। किसी उपक्रम को अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्यरत माना जाता है, यदि उसका लक्ष्य निम्नलिखित को विकसित करना और उनका वाणिज्यीकरण करना है:–

   (क) एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया, अथवा

   (ख) महत्वपूर्ण रूप से सुधार किए गए मौजूदा उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के सृजन या उसके मूल्य संवर्धन में सहायक हो।

   मात्र निम्नलिखित को विकसित करने संबंधी कार्य को इस परिभाषा में शामिल नहीं माना जाएगाः–

   (क) उत्पाद या सेवाएँ या प्रक्रियाएँ, जिनमें वाणिज्यीकरण की सम्भावना नहीं हो, अथवा

   (ख) एक समान उत्पाद या सेवाएँ या प्रक्रियाएँ, अथवा

   (ग) उत्पाद या सेवा या प्रक्रियाएँ, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के संबंध में मूल्य संवर्धन नहीं करते या सीमित वृद्धि करते हों।

4. इनक्यूबेटर :

इनक्यूबेटर व्यावसायिक सहायता संसाधनों और सेवाओं, जैसे भौतिक स्थान, पूँजी, प्रशिक्षण और सलाह, कॉर्पोरेट और कानूनी सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं और नेटवर्किंग अवसर प्रदान कर, मापनीय व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायता के लिए प्रारम्भिक चरणों के दौरान स्टार्ट–अप कम्पनियों का सहयोग करने वाला एक संगठन है।

केन्द्र या राज्य सरकार से वित्त पोषित या पंजीकृत इनक्यूबेशन को इस नीति के अन्तर्गत इनक्यूबेटर माना जायेगा। उदाहरण के लिए नीति आयोग के तहत अटल इनक्यूबेशन सेंटर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी0बी0आई):–

(1) इनक्यूबेटर को निम्न श्रेणियों में से किसी एक के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिएः–

   (क) सोसायटी (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत),

   (ख) धारा–8 कम्पनी (कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत),

   (ग) कम्पनी (कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत),

   (घ) सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत),

   (ङ) लोक चैरिटेबल ट्रस्ट (भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत)।

(2) इनक्यूबेटर को इंक्यूबेटीस के साथ क्रियाशील स्थिति में कम से कम 3 माह तक प्रत्यक्ष अथवा वर्चुअल रूप से सहायता करनी चाहिए।

(3) राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर को नीति के अनुसार मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को इनक्यूबेशन स्पेस में इनक्यूबेटर की अधिसूचित दरों से 25 प्रतिशत कम पर स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार से स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए इनक्यूबेटर को अनुलग्नक–3 पर आवेदन करना होगा।

5. एंजल इंवेस्टर :

एंजल इंवेस्टर आमतौर पर समृद्ध या उच्च निवल मूल्य के व्यक्ति हैं, जो स्टार्ट–अप अथवा उद्यमियों को शुरूआती या प्रारम्भिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं। एंजल इंवेस्टर प्रतिफल के रूप में कम्पनी में इक्विटी हिस्सेदारी या परिवर्तनीय ऋण के रूप में स्वामित्व प्राप्त करते हैं।

6. एंजल नेटवर्क :

एंजल नेटवर्क, एंजल इंवेस्टर का एक समूह है जो साथ–साथ निवेश करते हैं, पेशेवर रूप से प्रारम्भिक चरण के व्यवसाय के लिए फण्ड को प्रबन्धित करते है। एंजल समूह, सदस्यों के साथ संसाधनों और ज्ञान को साझा करके उभरते हुए बाजारों में एकल निवेश के जोखिमों को कम कर सकते हैं।

7. नवोन्मेष :

किसी विचार या आविष्कार को एक वस्तु या सेवा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जो मूल्य पैदा करती है, जिसके लिए ग्राहक भुगतान करेंगे। नवोन्मेष में संसाधनों से अधिक से अधिक या भिन्न मूल्यों को प्राप्त करने में जानकारी, कल्पना और पहल के आवेदन शामिल हैं।

8. विश्वविद्यालय :

केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अथवा ऐसी कोई भी संस्था, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो।

9. स्टार्ट–अप काउंसिल :

(क) स्वरूपः

स्टार्ट–अप काउंसिल के स्वरूप को सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किया जायेगा। इसमें ऐसे सदस्यों को सम्मिलित किया जायेगा, जिनकों सरकार स्टार्ट–अप नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समझे।

(ख) अधिकारः

i. स्टार्ट–अप उद्यमियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित कर सकेगी।

ii. उक्त प्रकार प्राप्त आवेदनों पर विचार–विमर्श कर नीति के अनुसार स्टार्ट–अप की पहचान कर सकेगी।

iii. उक्त प्रकार पहचान किए गए स्टार्ट–अप को नीति के अनुसार प्रदत्त प्रोत्साहनों के आवेदनों पर निर्णय ले सकेगी।

iv. स्टार्ट–अप का सम्भाव्य मूल्यांकन कर सकेगी।

v. नीति के प्राविधानानुसार इनक्यूबेटर्स की पहचान कर सकेगी तथा उनको अधिसूचित कर सकेगी।

vi. नीति के अनुसार अधिसूचित इनक्यूबेटर्स को प्रदत्त प्रोत्साहन सुविधाएँ प्रदान करने से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाएँ सम्पादित कर सकेगी।

vii. स्टार्ट–अप उद्यमियों को केन्द्र सरकार की अटल इनोवेशन फण्ड (A.I.F.) एवं स्टार्ट–अप इण्डिया योजना के साथ केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं में जोड़ने सम्बन्धी कार्य कर सकेगी।

viii. छात्रों की औद्योगिक सेमिनार, प्रोजेक्ट सेमिनार व औद्योगिक भ्रमण हेतु टी0बी0आई0 (Technology Business Incubator) व औद्योगिक आस्थानों में भ्रमण में सहायता प्रदान करेगी।

ix. स्टार्ट–अप हेतु वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से तकनीकी वाणिज्य मेलों का आयोजन कर सकेगी।

स्टार्ट–अप काउंसिल आवश्यकता अनुसार बैठकें आयोजित कर सकेगी परन्तु तीन माह में एक बार बैठक करना आवश्यक होगा। बैठक की गणपूर्ति हेतु सरकारी सदस्यों की 50 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति न होने पर एक सप्ताह के अन्दर पुनः बैठक आयोजित करानी होगी।

इसके अतिरिक्त वे कार्य सम्पादित कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे जायेंगे।

10. टास्क फोर्स :

(क) स्टार्ट–अप काउंसिल की देख–रेख में उद्योग निदेशालय में निम्नानुसार एक टास्क फोर्स गठित की जायेगी–

(1)	महानिदेशक/आयुक्त	–	अध्यक्ष,
(2)	निदेशक, उद्योग	–	उपाध्यक्ष,
(3)	वित्त नियंत्रक	–	सदस्य,
(4)	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, उद्योग	–	सदस्य–समन्वयक।

(ख) टास्क फोर्स के कार्य–

(1) टास्क फोर्स स्टार्ट–अप काउंसिल के कार्यालय के रूप में कार्य करेगी।

(2) नोडल एजेंसी द्वारा अग्रसारित आवेदनों पर निर्णय लेगी तथा नीति के अनुसार किसी स्टार्ट–अप को ₹ 10.00 लाख (रु0 दस लाख) तक के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु अधिकृत होगी।

(3) टास्क फोर्स द्वारा किए गए कार्यों का विवरण स्टार्ट–अप काउंसिल को उसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत करना होगा।

(4) स्टार्ट–अप काउंसिल की बैठकें आयोजित कराना।

अध्यक्ष द्वारा टास्क फोर्स की सहायता हेतु आवश्यकतानुसार विषय–विशेषज्ञों को बुलाया जा सकेगा।

11. नोडल एजेंसी :

(क) सभी श्रेणी के स्टार्ट–अप को पहचान हेतु संस्तुत करने के लिए स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन नोडल एजेंसी होंगे। स्टार्ट–अप काउंसिल से अनुमोदन हेतु नोडल एजेंसी को अनुलग्नक–5 पर आवेदन करना होगा। स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा नोडल एजेंसी को अनुमोदित करते समय तकनीकी तथा प्रबन्धन स्थानों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) नोडल एजेंसी के कार्य–

(1) स्टार्ट–अप द्वारा पहचान हेतु किए गए आवेदनों की स्क्रूटनी कर संस्तुति सहित टास्क फोर्स को अग्रसारित करना।

(2) वित्तीय प्रोत्साहन के आवेदनों की स्क्रूटनी कर संस्तुति सहित टास्क फोर्स को अग्रसारित करना।

(3) स्टार्ट–अप को मेंटरशिप उपलब्ध कराना।

(ग) शुल्क–

स्टार्ट–अप के पहचान तथा वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु किए गए आवेदनों की स्क्रूटनी शुल्क के रूप में नोडल एजेंसी द्वारा ₹ 2,000.00 (रु0 दो हजार) प्रति स्टार्ट–अप की दर से शुल्क लिया जायेगा।

उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु नोडल एजेंसी अपने यहाँ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी।

12. फोकस क्षेत्र :

पॉलिसी के लिए प्राथमिक फोकस सेक्टर निम्नलिखित है:–

(1) यात्रा और पर्यटन,

(2) खाद्य प्रसंस्करण और कृषि (उद्यान सहित)

(3) आयुर्वेद,

(4) शिक्षा,

(5) स्वास्थ्य क्षेत्र (Healthcare),

(6) जैव प्रौद्योगिकी,

(7) फार्मास्यूटिकल्स।

उक्त सूची के अतिरिक्त समय–समय पर अन्य क्षेत्र, जो कि स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे, भी योजना के अधीन पात्र होंगे।

13. अवसंरचनात्मक सहयोग :

इनक्यूबेटर तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों की सूची उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिसे "रियल टाईम बेसिस" पर अद्यतन किया जायेगा।

14. अन्य सहयोग :

भारत सरकार द्वारा स्टार्ट–अप को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ, जैसे निरीक्षणों से छूट, करों में छूट तथा स्वप्रमाणन आदि को राज्य में लागू किए जाने के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

15. पाठ्यक्रम अद्यतन :

स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने संबंधित पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने के लिए "उद्यमिता विकास" पर अनिवार्य पाठ्यक्रमों को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की सलाह दी जायेगी ताकि उद्यमिता के प्रति प्रेरणा, क्षमता और झुकाव वाले छात्रों को प्रेरित किया जा सके।

16. पाठ्यक्रम में विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम का समावेश :

उद्यमशीलता पर केन्द्रित विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इन विस्तृत "ओपन–ऑनलाइन" पाठ्यक्रम को छात्रों द्वारा ऐच्छिक रूप में लिया जा सकता है और उनकी इच्छा के आधार पर उन्हें सौंपा जा सकता है।

17. ई0डी0सी0 (उद्यमिता विकास सेल) नेटवर्क की स्थापना :

महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को कॉलेज स्तर पर छात्रों को उद्यमिता लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा ई0डी0सी0 स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। उद्यमिता विकास सेल हब का एक हिस्सा होंगे और आदर्श मॉडल की तरह संबंधित संस्थानों में प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण और व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाने में सहायता करेंगे। आई0आई0टी0, रुड़की तथा आई0आई0एम0, काशीपुर में दो फोकल एंटरप्रेन्योरेशिप प्रोडक्टिंग बॉडीज (ई0पी0बी0) की शुरूआत की जायेगी।

18. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण :

नवाचार और उद्यमिता शिक्षक युवाओं को आविष्कार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र से उद्योग के दिग्गजों, कॉर्पोरेट और अन्य नेताओं द्वारा स्थानीय संकाय को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा।

19. परियोजना कार्य :

अपने स्नातक स्तर के किसी भी वर्ष में स्टार्ट–अप विचारों पर काम करने वाले छात्र उद्यमी को अपनी आरम्भिक परियोजना के रूप में अपनी शुरूआत की परियोजना को अपनी डिग्री पूर्ण करने के लिए परिवर्तित करने की अनुमति होगी।

20. मेन्टरशिप बूटकैम्प :

सरकार आवश्यक रूप से स्कूलों और कॉलेजों में बूट शिविर स्थापित करके स्कूल और कॉलेज स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ये बूटकैम्प राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय इनक्यूबेटर, त्वरक, स्टार्ट–अप इवेंजीलिस्ट और उद्योग संघों के साथ साझेदारी में किए जाएंगे। इससे–

1. भाग लेने वाले छात्रों और उद्यमियों को आवश्यक सलाह मिलेगी।
2. वैश्विक सर्वोत्तम प्रयोगों की सूचना प्राप्त हो सकेगी।

21. नवोन्मेषों का वार्षिक स्टार्ट–अप फेस्टिवल :

उद्यमिता और नवाचार के लिए नवोन्मेषों का वार्षिक फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिससे युवाओं को समस्या हल करने की मानसिकता और उद्यमिता को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा, इससे–

1. नवोन्मेषों के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा।
2. स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

22. स्टार्ट–अप पंजीकरण तथा मान्यता हेतु आवेदन प्रक्रिया :

स्टार्ट–अप द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र (अनुलग्नक–1) भर कर तथा साथ में उपक्रम निगमन/पंजीकरण का प्रमाण–पत्र ऑनलाइन अपलोड करने पर उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2018 के अन्तर्गत पंजीकरण किया जा सकता है। यह आवेदन सम्बन्धित नोडल एजेंसी को ऑनलाइन किया जायेगा। नोडल एजेंसी एक सप्ताह के अन्तर्गत आवेदन की स्क्रूटनी कर के टास्क फोर्स को संस्तुति सहित अग्रसारित करेगी। टास्क फोर्स द्वारा नोडल एजेंसी से प्राप्त आवेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिकतम एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित की जायेगी तथा परिणाम को पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जायेगा तथा सम्बन्धित स्टार्ट–अप को ईमेल के माध्यम से भी अवगत कराया जायेगा।

23. स्टार्ट–अप को वित्तीय प्रोत्साहन :

23.1 *मासिक भत्ता :*

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा चुने गए सामान्य श्रेणी के स्टार्ट–अप को ₹ 10,000 तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर मासिक भत्ता ₹ 15,000 निम्नानुसार देय होगा–

- स्टार्ट–अप के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार से वित्त पोषण का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लिया हो, अथवा
- SEBI में पंजीकृत A.I.F. 1 अथवा A.I.F. 2 Angel निवेशक द्वारा इक्विटी वित्त पोषण किया हो, अथवा
- गत तीन माहों में स्टार्ट–अप द्वारा न्यूनतम ₹ 50,000.00 (रु0 पचास हजार) का सकल (Gross) राजस्व अर्जित किया गया हो।

किसी स्टार्ट–अप को मासिक भत्ता निर्धारित प्रारूप पर (अनुलग्नक–2 पर) आवेदन करने तथा टास्क फोर्स द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात् अधिकतम एक वर्ष तक ही देय होगा। प्रथम छः माह मासिक भत्ता प्राप्त करने के पश्चात् स्टार्ट–अप द्वारा प्राप्त मासिक भत्ते के उपयोग, जोकि स्टार्ट–अप के विकास हेतु खर्च किया गया हो, का स्व–प्रमाणित प्रमाण–पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर अगले माहों का मासिक भत्ता देय होगा।

23.2. *विपणन सहायता :*

मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप द्वारा नवाचारी उत्पाद के विपणन/प्रचार–प्रसार पर ₹ 5.00 लाख तक तथा नीति के अन्तर्गत फोकस क्षेत्रों में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी 'ए' के जनपदों में स्टार्ट–अप व्यवसाय स्थापित करने पर विपणन सहायता ₹ 7.5 लाख तक निम्नानुसार देय होगी–

- SEBI में पंजीकृत ए0आई0एफ0 श्रेणी 1 अथवा 2 Angel निवेशक द्वारा कम से कम ₹ 10.00 लाख की इक्विटी का वित्त पोषण किया हो, अथवा
- स्टार्ट–अप के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार से कम से कम ₹ 2.00 लाख का वित्त पोषण/ अनुदान का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लिया हो, अथवा
- पिछले तीन माहों में स्टार्ट–अप द्वारा न्यूनतम ₹ 2.00 लाख प्रतिमाह की सकल (Gross) राजस्व प्राप्ति की गई हो।

उक्तानुसार प्रदान की जानी वाली विपणन सहायता स्टार्ट–अप को मात्र एक बार देय होगी तथा इसके लिए स्टार्ट–अप को नवाचारी उत्पाद के विपणन/प्रचार–प्रसार पर हुए वास्तविक व्यय का मदवार स्व–प्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न (अनुलग्नक–2) दिया जाना होगा।

23.3. *पेटेंट व्यय की प्रतिपूर्ति :*

स्टार्ट–अप पेटेंट शुल्क (फाइलिंग शुल्क, अटॉर्नी शुल्क, अन्वेषण शुल्क, रख–रखाव शुल्क सहित) की वास्तविक लागत की 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति के लिए अर्ह होंगे, यह प्रतिपूर्ति भारतीय पेटेंट की दशा में ₹ 1.00 लाख तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट की दशा में ₹ 5.00 लाख तक देय होगी, यह प्रतिपूर्ति 75 प्रतिशत आवेदन दाखिल करते समय तथा 25 प्रतिशत अभियोजन के समय निम्नानुसार देय होगी–

1. भारतीय पेटेंट अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट पर हुए व्यय की प्रथम 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्टार्ट–अप को आवेदन–पत्र (अनुलग्नक–2 पर) के साथ पेटेंट के लिए फाइल किए गए आवेदन की प्रति (Form 1/Form 5/Form 18) कोई अन्य प्राप्ति रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा, जिससे यह साबित हो सके की स्टार्ट–अप द्वारा पेटेंट के लिए आवेदन तथा शुल्क का भुगतान किया गया है।
2. शेष 25 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्टार्ट–अप को आवेदन–पत्र (अनुलग्नक–2) के साथ प्राप्त पेटेंट प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

23.4. *स्टॉम्प शुल्क में छूट:*

स्टार्ट–अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को लीज डीड/स्थान/भूमि क्रय करने पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणियों के अनुसार स्टॉम्प शुल्क में छूट देय होगी।

क्र0 सं0	श्रेणी	छूट की मात्रा/सीमा
1.	श्रेणी–ए	शत प्रतिशत
2.	श्रेणी–बी	शत प्रतिशत
3.	श्रेणी–बी+	शत प्रतिशत
4.	श्रेणी–सी	शत प्रतिशत
5.	श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

स्टॉम्प शुल्क में छूट दिए जाने की प्रक्रिया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015, के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

23.5. *आवश्यकता आधारित सहायता :*

नए उत्पाद के विकास/वर्तमान उत्पाद में सुधार के लिए नवोन्मेष हेतु आवश्यक कच्चा माल/घटक तथा अन्य सम्बन्धित उपकरणों के लिए स्टार्ट–अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को ₹ 5.00 लाख तक की आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाएगी।

यह सहायता कच्चा माल/उपकरण की नवोन्मेष के लिए आवश्यकता होने पर ही देय होगी तथा स्टार्ट–अप परिषद् के अनुमोदन पर निर्भर करेगी। सहायता के मानक स्टार्ट–अप कॉउन्सिल द्वारा निर्धारित किए जायेंगे। आवश्यकता आधारित सहायता प्राप्त करने के लिए स्टार्ट–अप को अनुलग्नक–2 पर आवेदन करना होगा। स्टार्ट–अप आवश्यकता आधारित सहायता के लिए एक से अधिक बार भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु आवश्यकता आधारित सहायता की कुल धनराशि किसी स्टार्ट–अप के लिए ₹ 5.00 लाख से अधिक नहीं होगी। धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् 3 माह के अन्दर स्टार्ट–अप को प्राप्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

23.6. *राज्य माल एवं सेवा कर :*

स्टार्ट–अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप को उत्तराखण्ड राज्य की संबंधित फर्म/इकाई द्वारा प्रदेश के भीतर उपभोक्ता (बी0 टू सी) को माल की आपूर्ति पर अनुमन्य आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात् जमा किए गए एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। राज्य माल एवं सेवा कर में प्रतिपूर्ति दिए जाने की प्रक्रिया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी।

24. इनक्यूबेटर को वित्तीय प्रोत्साहन :

स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा "इनक्यूबेटर" के रूप में मान्यता प्राप्त इकाई को निम्नलिखित लाभ/प्रोत्साहन देय होंगे–

24.1. *पूँजीगत सहायता :*

इनक्यूबेटर्स को पूँजीगत लागत का पचास प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.00 करोड़ तक पूँजीगत सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता एक बार देय होगी तथा पूँजीगत लागत में भूमि तथा भवन की लागत की गणना नहीं की जाएगी। यह सहायता नए इनक्यूबेटर स्थापित करने पर अथवा स्थापित इनक्यूबेटर को क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न शर्त अनुसार देय होगी–

(1) इनक्यूबेटर केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो।

(2) इनक्यूबेटर में कम से कम 5,000 वर्ग फीट इन्क्यूबेशन स्पेस उपलब्ध हो।

पूँजीगत सहायता दिए जाने की प्रक्रिया :

(1) इनक्यूबेटर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक–4 पर टास्क फोर्स को आवेदन करना होगा।

(2) टास्क फोर्स इनक्यूबेटर के आवेदन को स्टार्ट–अप काउंसिल के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

(3) स्टार्ट–अप काउंसिल इनक्यूबेटर के आवेदन पर निर्णय लेगी।

(4) स्टार्ट–अप काउंसिल के निर्णय के पश्चात् टास्क फोर्स द्वारा इनक्यूबेटर के खाते में बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी।

(5) पूँजीगत सहायता किसी भी इनक्यूबेटर को नीति के अन्तर्गत निर्धारित सीमा के अनुसार मात्र एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।

24.2. *चालू खर्च हेतु सहायता :*

स्टार्ट–अप परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटरों को 3 साल की अवधि के लिए संचालन और प्रबन्धन खर्च के रूप में प्रतिवर्ष ₹ 2.00 लाख की सहायता निम्न शर्तानुसार देय होगीः–

(1) यह सहायता इनक्यूबेटर को विद्युत बिल, जलकर आदि चालू खर्चों हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) इस सहायता हेतु इनक्यूबेटर वर्ष में एक से अधिक बार भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु धनराशि की कुल सीमा ₹ 2.00 लाख ही रहेगी।

चालू खर्चा प्रदान किए जाने हेतु प्रक्रिया :

(1) इनक्यूबेटर को अनुलग्नक–4 पर टास्क फोर्स को आवेदन करना होगा।

(2) टास्क फोर्स द्वारा इनक्यूबेटर के आवेदन की समीक्षा की जायेगी।

(3) आवेदन सही पाये जाने पर निर्धारित धनराशि इनक्यूबेटर के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(4) इनक्यूबेटर को प्राप्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

24.3. *मैचिंग ग्रांट :*

राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स को, जो भारत सरकार के सीड फण्ड योजना का प्रबन्धन कर रहे है, को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के बराबर अथवा अधिकतम ₹ 2.00 करोड़, जो भी कम हो, देय होगा।

मैचिंग ग्रांट प्रदान किए जाने हेतु प्रक्रिया :

(1) इनक्यूबेटर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक–4 पर टास्क फोर्स को आवेदन करना होगा।

(2) टास्क फोर्स इनक्यूबेटर के आवेदन को स्टार्ट–अप काउंसिल के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

(3) स्टार्ट–अप काउंसिल इनक्यूबेटर के आवेदन पर निर्णय लेगी।

(4) स्टार्ट–अप काउंसिल के निर्णय के पश्चात् टास्क फोर्स द्वारा इनक्यूबेटर के खाते में बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी।

(5) मैचिंग ग्रांट किसी भी इनक्यूबेटर को नीति के अन्तर्गत निर्धारित सीमा के अनुसार मात्र एक बार उपलब्ध कराई जायेगी।

25. आइडिया चैलेंज :

उद्यमिता की भावना को विकसित/बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक मण्डल में प्रत्येक छः माह में आइडिया चैलेंज आयोजित किया जायेगा। विजेता नवाचारी को, जिनकी संख्या राज्य में अधिकतम 10 तक हो सकती है, ₹ 50,000.00 (रु0 पचास हजार) का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। आइडिया चैलेंज के लिए टास्क फोर्स द्वारा स्टार्ट–अप काउंसिल की अनुमोदन से समस्याओं का चयन किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष के जनवरी तथा जुलाई माह में कुमाँऊ मण्डल तथा गढ़वाल मण्डल के किसी एक–एक जनपद में आइडिया चैलेंज का आयोजन किया जायेगा।

26. प्रोत्साहनों की वसूली :

नीति के अन्तर्गत प्रदत्त किसी भी प्रकार के अनुदान/सहायता का दुरूपयोग अथवा स्वप्रमाणन में किसी प्रकार की मिथ्या जानकारी/सूचना पाये जाने पर अनुदान/सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू–राजस्व वसूली के सादृश्य 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जा सकेगी।

यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0सं0–295/XXVII(8)/2018, दिनांक 03 अप्रैल, 2018 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,

प्रमुख सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

विविध

16 मार्च, 2018 ई0

संख्या 180/XVIII(3)2018/10(2)2015–श्री राज्यपाल महोदय, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड की भू–अर्जन अमीन (राजस्व विभाग) की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक सेवा नियमावली, 2018

भाग–1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम **उत्तराखण्ड भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक सेवा नियमावली, 2018** है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड भूमि अर्जन (राजस्व विभाग)/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक अमीन सेवा में समूह **"ग"** के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से संबंधित जिले के कलैक्टर अभिप्रेत है;

(ख) **"भारत का नागरिक"** से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाए;

(ग) **"आयोग"** से ''उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग'' अभिप्रेत है;

(घ) **"संविधान"** से भारत का "संविधान" अभिप्रेत है;

(ड़) **"सरकार" से** उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) **"राज्यपाल'' से** उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) **"सेवा का सदस्य"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस

नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड राजस्व भूमि अर्जन अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक सेवा अभिप्रेत है;

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2– संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा के सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा में पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है;

परन्तु कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को ख़ाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार स्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।

भाग–3 भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. भूमि अर्जन अमीन/भूमि अध्याप्ति निरीक्षक के पद पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी:–

(1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से;

(2) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त चैनमैन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से हाईस्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा

का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजनिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही, नामंजूर किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता 8. सेवा में विभिन्न श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिएः–

पद	अर्हता
भूमि अर्जन अमीन/ भूमि अध्याप्ति निरीक्षक	**माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिन्होंने लेखपाल के पद के लिये विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।**

अधिमानी अर्हता 9. अभ्यर्थी जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

(3) **अनिवार्य/वांछनीय अर्हता–** अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की पहली जुलाई को, जिस वर्ष रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र 11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं का समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के

पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

उक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु उत्तराखण्ड़ राज्य के शारीरिक रुप से विकलांग अभ्यर्थियों (पी.डी.–आंशिक बधिर) को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

भाग 5–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को अधिसूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क सहित सीधी भर्ती के लिये आवेदन पत्र का प्ररुप, आयोग द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) **(एक)** चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला को उत्तराखण्ड की वेबसाईट www.uk.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रदर्शित एवं प्रकाशित की जायेगी;

परन्तु उपबन्ध यह है कि ऐसे पद, जिनके लिये कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रुप में या भर्ती के ढंग के रुप में विहित किये गये हों, लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, जो पद के लिये विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन समय–समय पर यथासंशोधित लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों के लिए नियमावली, 2012 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति चयन उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है

एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी जो सम्बन्धित को अपेक्षित संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के नाम भेजेगा।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि किसी वर्ष सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है, तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्तियों का आदेश जारी किया जाता है, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकेगा। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकेगा। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकेगा, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे;

परन्तु यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो:

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो:

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित हो: तथा

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. (1) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा।

भाग–7 वेतन आदि।

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

23. (1) वित्तीय नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकार सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारक रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत वित्तीय नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8–अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन 24. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहें लिखित हों या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवको पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलीकरण 26. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो इस मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा सम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–'क'

भू–अर्जन निरीक्षक (भू–अर्जन अमीन) के पदों की जनपदवार संख्या (नियम– 4 (2) व 22 (2) देखिये),

पद नाम	वेतनमान	ग्रेड–पे
भूमि अर्जन अमीन/ भूमि अध्याप्ति निरीक्षक	₹ 5200–20200	₹ 2000/--

जनपद का नाम	पदों की संख्या स्थाई/अस्थायी
(क) देहरादून	08
(ख) टिहरी गढ़वाल	08
(ग) नैनीताल	07
(घ) अल्मोड़ा	05
(ड़) हरिद्वार	07
(च) पौड़ी	07
योग	42 (कुल पद बयालिस मात्र)

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 180/XVII(3)2018/10(2)2015**, March 16, 2018 for general information.

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

March 16, 2018

No. 180/XVII(3)2018/10(2)2015--In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of "the Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating recruitment and the condition of services of persons appointed to the Uttarakhand Land Acquisition (Revenue Department) Service;

The Uttarakhand Land Acquisition (Revenue Department) Ameen/ Land Acquisition Inspector Service Rules, 2018

PART I-GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Land Acquisition (Revenue Department) Ameen/Land Acquisition Inspector Service Rules, 2018.

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. The service of Uttarakhand Land Acquisition (Revenue Department) Land Acquisition Inspector Ameen service which comprises Group '**C**' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(a) '**Appointing Authority**' means the Collector of the concerning district;

(b) '**Citizen of India**' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution;

(c) **"Commission"** means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission;

(d) '**Constitution**' means '**the Constitution of India**';

(e) '**Government**' means the State Government of Uttarakhand;

(f) '**Governor**' means the Governor of Uttarakhand;

(g) '**Member of the Service**' means a person substantively appointed under these rules or orders enforce prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) **'Service'** means the Uttarakhand Revenue Land Acquisition Ameen/ Land Acquisition Inspector Service;

(i) **'Substantive appointment'** means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rule and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;

(j) **'Year of recruitment'** means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year.

PART II-CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the Service therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) as given in **Appendix-"A"**:

Provided that:-

(i) the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to the compensation;

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III-RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the post of Land Acquisition Ameen/Land Acquisition Inspector in service shall be made from the following sources:-

(1) 75 percent posts by direct recruitment through the Commission.

(2) 25 percent posts by promotion from amongst substantively appointed Chainman who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and who have the certificate of Uttarakhand Higher Secondary Education Board examinations or any recognized examinations by the Government, basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Selection Committee.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes and other category to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV-QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to be a post in service must be-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who come over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently setting in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka or any of the east African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently setting in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note:- A candidate in whose case is certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification

8. A candidate must have following qualifications for the direct recruitment to the various posts –

Post	Qualification
Land Acquisition Ameen/ Land Acquisition Inspector	Passed Intermediate Examination from Board of High School and Intermediate Education, Uttarakhand or passed an equivalent to recognized qualification by the Government. Such candidates will be given preference who has prescribed training for the post of Lekhpal.

Preferential Qualification

9. A candidate who has:-

(1) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(2) Obtained a 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

(3) **Mandatory/ Desirable qualification-** A candidate shall be

registered his/her name in Employment Exchange in any district of the Uttarakhand State.

Age **10.** A candidates for direct recruitment must have attained the age of 18 years on 1st July and must not have attained the age of more than 42 years when the communiqué was published advertisement;

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by the State Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character **11.** The character of a candidate to a post in service must be such as render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy it self on this point.

Note—Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a corporation or body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Person's convicted of any offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status **12.** A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man, already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness **13.** No candidate shall be appointed to a post in the service unless he in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance office duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in Chapter III of the financial handbook **Volume II, Part III**:

For direct recruitment on the said post shall be admissible reservation as per rule to the physically handicaps candidates (P.D. partly Baghir)

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies **14.** The Appointment Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Other Categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6 and also intimate

to the Commission.

Procedure for direct recruitment

15. (1) The form of application for the direct recruitment shall be published in minimum such two daily newspapers having wide circulation through the Commission by the Government time to time for the prescribed fee.

(2) (i) There shall be a written examination carrying 100 marks for the selection. The merit list shall be prepared on the basis of the marks obtained in the written examination and others evaluations;

(ii) (a) There shall be an objective type written examination carrying 100 marks consisting of single question paper which will include General Knowledge and General Studies. While evaluating the question paper one mark shall be awarded for each correct answer and ¼ negative marks for each wrong answer;

(b) The answer sheet of written examination shall be in duplicate with carbon copy and the candidates shall be permitted to carry back the duplicate copy with them after the completion of the examination;

(c) After the written examination the answer key of the written examination shall be displayed on the Uttarakhand website www.uk.nic.in.

Provided that the such post in which any physical standard, essential eligibility or manner of recruitment is prescribed, in these terms candidate shall be required to undergo prescribed physical test before the written examination and only those candidate shall be allowed to appear in the test for selection that come up to the minimum standard prescribed for the post.

Procedure for recruitment by promotion

16. **(1)** For the posts of recruitment by promotion shall be made according the Uttarakhand Departmental Promotion of constituted Committee (Out of the Preview of the Uttarakhand Public Service Commission) Rules, 2012 as amended from time to time shall made under the selection committee.

(2) The Appointment Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, (Out of the Preview of the Uttarakhand Public Service Commission) Selection Rules, 2003 as amended from time to time, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2).

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates

arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

Combined select list

17. If in any year of recruitment/appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the name of candidates from the relevant lists; in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

18. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules, 15, 16 or 17.

(2) Where in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and regular appointment shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment is issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the name of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

(4) The Appointment Authority may make appointments in temporary from the list prepared under sub-rule (1). Such appointments shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

Probation

19. (1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of two year.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one months and in no circumstances beyond two year.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his Services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose Services are dispensed with

under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous Service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20. (1) A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(a) his prescribed training may successful, if any;

(b) work and conduct is reported to be satisfactory;

(c) his integrity is certified;

(d) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

PART-VII- PAY ETC.

Pay Scales

22. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay at the time of the Commencement of these rules are given in **Appendix-A.**

pay during probation

23 (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary a person on probation if he is not already in permanent government service shall be allowed his first increment in the time-scale, when he has completed one year of satisfactory service including period-of-training and has passed the Departmental examination; and second increment, after two years satisfactory service, where he has completed the probationary period and is also confirmed;

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority direct otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post, under the Government, shall be regulate, by the relevant Fundamental Rules;

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay, during probation of a person who is already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government Service generally governing in connection with the affairs to the State.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing **24.** No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the Post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters **25.** In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service **26.** Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax than requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Saving **27.** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required for the candidates belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix- 'A'

District wise number of the post of Land Acquisition Inspector (Land Acquisition Inspector)

[Please see sub-rule 4(2) and 22(2)]

Name of post	Pay scale	Grade pay
Land Acquisition Ameen/ Land Acquisition Inspector	Rs. 5200-20200	Rs. 2000/

Name of District	Number of posts Permanent/temporary
(a) Dehradun	08
(b) Tehri Garhwal	08
(c) Nainital	07
(d) Almora	05
(e) Haridwar	07
(f) Pauri	07
Total	42 (total posts forty two)

By Order,

HARBANS SINGH CHUGH,

In-Charge Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/316–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जून 2018 ई0 (ज्येष्ठ 26, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

May 24, 2018

No. 673/III-A-04-2009/SLSA--Sri Mohd. Yaqoob, Secretary, District Legal Services Authority, Champawat is hereby sanctioned medical leave for a period of 12 days *w.e.f.* 02.05.2018 to 13.05.2018.

By Order of Hon'ble Executive Chairman,
Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Member Secretary,
Uttarakhand SLSA, Nainital.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 30, 2018

No. 195/UHC/XIV-a-42/Admin.A/2015--Sri Mohammad Arif, Judicial Magistrate, Uttarkashi is hereby sanctioned Medical leave for 16 days *w.e.f.* 01.05.2018 to 16.05.2018.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

May 17/18, *2018*

(Handed over the Charge Certificate)

No. 2134/UHC/Admin.A/2018--CERTIFIED that the charge of the office of the Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of May 17, 2018 on proceeding for earned leave for 14 days *w.e.f.* 18.05.2018 to 31.05.2018, sanctioned *vide* letter no. 1860/XIV/57/Admin.A/2003, dated 03.05.2018 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

AJAY CHAUDHARY,
Relieved Officer.

Countersigned

NARENDRA DUTT,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE (TAKEN OVER)

June 01/04, *2018*

(Taken over the Charge Certificate)

No. 2342/UHC/Admin.A/2018--CERTIFIED that the charge of the office of the Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital is taken over today in forenoon on 01.06.2018, after availing earned leave for 14 days, form 18.05.2018 to 31.05.2018, sanctioned vide letter no. 1860/XIV/57/Admin.A/2003, dated 03.05.2018 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

AJAY CHAUDHARY,

Countersigned

NARENDRA DUTT,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

सचिवालय प्रशासन विभाग

कार्यभार–ग्रहण–प्रमाणक

06 अप्रैल, 2018 ई0

पत्रांक 291/ए0एस0(एस0ए0डी0)–सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–4 के विज्ञप्ति संख्या 359/XXXI(4)/18/04(विविध)/2016, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के क्रम में, जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, मुख्य निजी सचिव, वेतनमान ₹ 1,31,100–2,16,600, पे मैट्रिक्स लेवल–13क (अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे–₹ 8,900) उत्तराखण्ड शासन का पदभार आज दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अपराह्न में ग्रहण कर लिया गया है।

अवमोचक अधिकारी,
दर्शन सिंह,
मुख्य निजी सचिव।

प्रतिहस्ताक्षरित
इन्दुधर बौड़ाई,
अपर सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

17 मई, 2018 ई0

संख्या 132/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2018–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता, प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री राजेन्द सिंह पुत्र श्री जय लाल, पता–H.No.–178, ग्राम मोहाली, तहसील एस0ए0एस नगर, 160055	PB-6520120142609, VALIDITY (NT), 14.07.2032	भार वाहन में ओवरलोड सवारी	ARTO, RUDRAPRAYAG	15.05.2018 से 14.08.2018
2.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री चमन लाल, ग्राम दरवेश पिंड, तहसील पगवाड़ा, जिला कपूरथला, पंजाब	PB-3620140015028, VALIDITY (NT), 11.02.2021	संकेत देने पर वाहन को रोका नहीं गया, प्राइवेट वाहन का व्यवसायिक प्रयोग	ARTO, RUDRAPRAYAG	15.05.2018 से 14.08.2018
3.	श्री गुलशेर पुत्र श्री शकील अहमद, पता–मोह–जब्तगंज, पो0 नजीवाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	UK-1320130003715, VALIDITY (NT), 19.01.2035, VALIDITY (TR), 26.10.2019	भार वाहन में ओवरलोड सवारी	ARTO, RUDRAPRAYAG	15.05.2018 से 14.08.2018
4.	श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, पता–ग्राम तयूंकर, पो0 चिरबाटिया, जनपद रूद्रप्रयाग, पिन–246171	UK-1320100001220, VALIDITY (NT), 02.04.2029, VALIDITY (TR), 09.06.2019	1. संकेत देने पर वाहन नहीं रोका, 2. वैध फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया	ARTO, RUDRAPRAYAG	15.05.2018 से 14.08.2018
5.	श्री कुशाल सिंह पुत्र श्री प्रद्युमन सिंह, एस0एस0सी0(Ltd.), ऋषिकेश, चमोली, ऋषिकेश, देहरादून	UK-1420050034243, VALIDITY (NT), 06.11.2025, VALIDITY (TR), 06.11.2020	वाहन में ओवरलोड सवारी	ARTO, RUDRAPRAYAG	15.05.2018 से 14.08.2018
6.	श्री सन्केत त्यागी पुत्र श्री शुभाषा चंद त्यागी, पता–मनवीर जाट वाला, मोहल्ला ग्राम दादरी, हापूड़, उत्तर प्रदेश	UP-3720140010470, VALIDITY (NT), 10.11.2034	वाहन संचालन के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग	ARTO, RUDRAPRAYAG	15.05.2018 से 14.08.2018

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/316–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जून 2018 ई0 (ज्येष्ठ 26, 1940 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0), चम्पावत

अधिसूचना की सूचना

26 मई, 2018 ई0

पत्रांक 47/ना0नि0–वि0पुन0/2017–18–राज्य निर्वाचन आयोग, की अधिसूचना संख्या–227/ रा0नि0आ0अनु0–3/1260/2017, दिनांक 25 मई, 2018 के क्रम में आयोग की पूर्व अधिसूचना संख्या–470/रा0नि0आ0 अनु–3/1260/2017, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 द्वारा नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों एवं अधिसूचना संख्या–471/रा0नि0 आ0अनु0–3/1260/2017 द्वारा नगर निगमों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम अधिसूचित किया गया। शासन द्वारा विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पुनः निकायों का विस्तारीकरण एवं परिसीमन का कार्य किया गया। जिसके फलस्वरूप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन निकायों का शासन द्वारा विस्तारीकरण एवं पुनर्परिसीमन किया गया, उन निकायों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 850, दिनांक 16 जनवरी, 2018 के द्वारा पुनः कार्यक्रम निर्गत किया गया और जिसके अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 19.03.2018 को कर दिया गया।

तत्पश्चात् नागर निकायों के विस्तारीकरण/परिसीमन के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिकाओं पर दिए गए आदेश के समादर में शासन द्वारा 23 निकायों के परिसीमन के सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्राप्त कर, उनकी सुनवाई के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन ने अधिसूचना संख्या–1165/IV(3)/2018–11(5 निर्वा0)/2017, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा इस जनपद के नगरपालिका परिषद्, टनकपुर के कक्षों का अन्तिम परिसीमन का आदेश जारी किया गया है।

अतः, शासन द्वारा पुनः निकायों के पुनर्परिसीमन किए जाने के उपरान्त अधिसूचित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में व्यापक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उक्तानुसार नागर निकाय की कक्षवार निर्वाचक नामावली को व्यवस्थित करने एवं विशेष पुनरीक्षण कर अद्यतन किए जाने हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–य क के अर्न्तगत एवं उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) की धारा 12ख एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) की धारा 35 में प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, उक्त सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्, टनकपुर की निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण हेतु, मैं, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), चम्पावत, एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित समय–सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा:–

क्र0 सं0	कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
1	2	3	4
1.	निर्वाचक नामावलियों को व्यवस्थित करना (पुनर्परिसीमन के बाद गठित नये वार्डों से हटाए गए/में जोड़े गए क्षेत्र के मतदाताओं के नामों को यथास्थित संबंधित वार्डों में व्यवस्थित करते हुए, क्रम संख्या व शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करना)	03 दिन	दिनांक 25.05.2018 से 27.05.2018 तक
2.	क्रम संख्या–1 के अनुसार तैयार/व्यवस्थित की गई वार्डवार निर्वाचक नामावली का मुद्रण	03 दिन	दिनांक 28.05.2018 से 30.05.2018 तक
3.	निर्वाचक नामावली के आलेख का प्रकाशन निरीक्षण एवं दावों/आपत्तियों को प्राप्त करना	07 दिन	दिनांक 31.05.2018 से 06.06.2018 तक
4.	प्राप्त दावों/आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण	02 दिन	दिनांक 07.06.2018 से 08.06.2018 तक
5.	निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूचियों का मुद्रण	02 दिन	दिनांक 09.06.2018 से 10.06.2018 तक
6.	निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन की तिथि	01 दिन	11.06.2018

2. तद्नुसार जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय) द्वारा अपने स्थानीय निकाय की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार–पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किए जायेंगे तथा समस्त मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने सम्बन्धी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की निर्देश पुस्तिका के अध्याय–3 में उल्लिखित संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किए जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी ला दिए जायेंगे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील, जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसके अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश के नियम–20(1) (2) के अधीन दायर की गई है।

3. उपर्युक्त विशेष पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2018 निर्धारित करते हुए, जनपद के नगरपालिका परिषद्, टनकपुर की निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जायेंगे, जो 01 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। उक्त विशेष पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियाँ ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेगी।

डा0 अहमद इकबाल,
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्था0 नि0), चम्पावत।

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत

अधिसूचना की सूचना

31 मई, 2018 ई0

पत्रांक 54/त्रि0पं0/उप निर्वाचन–2018–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–244/ रा0नि0आ0–2/2018, दिनांक 30.05.2018 के क्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डा0 अहमद इकबाल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), चम्पावत, एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद चम्पावत के त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए सदस्य, ग्राम पंचायत, प्रधान, ग्राम पंचायत तथा सदस्य, क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जायेंगे:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
05.06.2018 एवं 06.06.2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	07.06.2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	08.12.2016 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	09.06.2018 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19.06.2018 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	21.06.2018 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार–पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा और इस ग्राम पंचायत में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किए जायेंगे।

3. उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा 194(2) अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य, ग्राम पंचायत, प्रधान, ग्राम पंचायत एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

डा0 अहमद इकबाल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), चम्पावत।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/316–भाग 3–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।